

ए.11018/38/2019-एम.एच.2/एन.सी.डी.-1


भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनसीडी-1

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 22 जून, 2021

जन-सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में प्राध्यापक (भौतिक चिकित्सा) पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जन-सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (डी.एस.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई-मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।


(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंबर 011-2306 2666

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2021

सा.का.नि राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, प्राध्यापक, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, चिकित्सा सामाजिक कार्य, व्यावसायिक निर्देशन और वाक् चिकित्सा, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2013 को, जहां तक उनका संबंध प्राध्यापक (भौतिक चिकित्सा) के पद से है, उन वातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में प्राध्यापक, भौतिक चिकित्सा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, प्राध्यापक, भौतिक चिकित्सा (समूह 'क' पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति,** आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातों वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता:** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञा है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई वात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुमती

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अवयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व यक्तियों के लिए आगु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्राध्यापक भौतिक चिकित्सा	06* (2021)	माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रिन, अननुमतिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुमार मरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक: (i) विसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक चिकित्सा में आकांक्षार की डिग्री; और (ii) (क) केन्द्रीय या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त विसी संस्थान या केन्द्रीय या राज्य मरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय या विनियामक परिषद से मान्यताप्राप्त विसी विश्वविद्यालय में भौतिक चिकित्सा का 2 वर्ष का शिक्षण का अनुभव, या (छ) केन्द्रीय या राज्य मरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान या केन्द्रीय या राज्य मरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय या विनियामक परिषद से मान्यताप्राप्त विसी विश्वविद्यालय से पुनर्वासी की अनुसंधान परियोजना की योजना के कार्यान्वयन में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणि-1: अहताएं अन्यथा सुअहित अन्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्रम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती है। टिप्पणि-2 : अनुभव संबंधी अहताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अन्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्रम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के विसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्रम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अन्यर्थियों के पर्याप्त मंच्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोलत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी या नहीं	परिवी का कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोलत या प्रतिनियुक्ति या अमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोलति या प्रतिनियुक्ति या अमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोलति या प्रतिनियुक्ति या अमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोलति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: लागू नहीं होता। शैक्षिक अहता: हाँ	एक वर्ष ।	पचास प्रतिशत प्रोलति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है); और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोलति:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6(35400-112400 रुपये) में भौतिक चिकित्सक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/अमेलन:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8(47600-151100 रुपये) या इसके समतुल्य में पढ़ों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400 रुपये) या इसके समतुल्य में पढ़ों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो स्नेभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अहताएं और अनुभव रखते हों।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोलति समिति(प्रोलति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य; निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई - सदस्य; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के (संबंधित) उप महानिदेशक - सदस्य। 	<p>प्रस्तुक अवधार पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

(ए. 11018/38/2019-एमान्च II)

अवर सचिव, भारत सरकार